संख्या : 120 /ज0प्र0अनु0/2016–84(05)/2014

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम) देहरादून : दिनांक 06 मई, 2016

विषयः उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत **External Evaluation Consultancy** के चयन एवं **Consultancy** कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 542/ज0प्र0अनु0/84(05)/2014 दिनांक 19.01.2015 एवं आपके पत्रांक 2068/10–30/M&E/2014–15 दिनांक 16.02.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत External Evaluation Consultancy हेतु विश्व बैंक द्वारा निर्धारित National Competitive Bid द्वारा Quality and Cost Based Selection के आधार पर चयनित संस्था M/s Sutra Consulting, Sustainable and innovated Solution, N2/139 IRC village Bhubaneshwar के अन्तिम चयन एवं Consultancy कार्यों हेतु पांच वर्षो की अवधि के लिये रू0 4,19,97,700.00 (रु0 चार करोड़ उन्नीस लाख सत्तानब्बे हजार सात सौ मात्र) एवं इस धनराशि पर नियमानुसार देय सेवा कर की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय **निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः–**

2. उक्त प्रयोजन हेतु सम्बन्धित संस्था से नियमानुसार अनुबन्ध कर लिया जाय।

2.1 बाहरी मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित Term of Reference के आधार पर किया जाय।

.2.2 उक्तानुसार निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय कार्य/योजना हेतु लागू वर्तमान नियमों, आदेशों, निर्धारित मानकों, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों एवं विश्व बैंक की गाईड लाईन्स के अनुसार किया जायेगा।

2.3. उक्त प्रयोजन पर व्यय से पूर्व नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय सुसंगत वर्ष में "अनुदान संख्या–17" के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–800–अन्य योजनायें–97 वाह्य सहायतित योजना–02 विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के मानक मद "42–अन्य व्यय" के अन्तर्गत प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि से किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–15(NP)/XXVII-4/2015 दिनांक 06 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव

संख्या : /ज0प्र0अनु0/2016–84(05)/2014 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड मांजरा देहरादून।
4. महालेखाकार, ऑडिट उत्तराखण्ड इन्दिरानगर, देहरादून।
5. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी/कुमांयू मण्डल नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव